

3
शुला

इस कार्यवाही मय इनिशियल्य अज

पहचान अधिवक्ता वादी श्री संदीप शर्मा
द्वारा की गई है।

अतः वाहपत्र वादीगण जरिये विद्वी
प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाहपत्र
उसी स्टेज पर ड्रॉप किया जाकर खारिज
किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार
द्वारा नम्बर से कम की जाकर हाथिल
हफ्त हो।


उपखण्ड अधिकारी
भाण्डलगढ़